**सं. आई-27011/2/2017-समन्वय**

**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,**

**डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001**

**तारीखः .04.2017**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मार्च, 2017 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

**(जे.एस. औधखासी)**

**उप सचिव, भारत सरकार**

**दूरभाषः 23381615**

संलग्नः उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

**प्रतिलिपि प्रेषितः** (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान कार्मिक अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मार्च, 2017 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए**

**(जे.एस. औधखासी)**

**उप सचिव, भारत सरकार**

**मार्च, 2017 के दौरान महत्वपूर्ण नीति निर्णय और मुख्य उपलब्धियां:**

**(1) अधिसूचनाएं:-**

(i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 17.03.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 258(अ) के माध्यम से इंड एएस 102(शेयर आधारित भुगतान) और इंड एएस 7 (नकदी प्रवाह का कथन) में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इंड एएस 102 के संशोधन जो शेयर आधारित भुगतान के वर्गीकरण और मापन से संबंधित हैं, में स्पष्ट किया गया है कि शेयर आधारित भुगतान संव्यवहारों के कुछ प्रकारों के लिए लेखा कैसे रखे जाने हैं।

साथ ही इंड एएस 7 के संशोधनों का उद्देश्य इंड एएस 7 में प्रकटीकरण अपेक्षाओं को संशोधित करना है। इन संशोधनों में वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न् होने वाली देयताओं में नकदी और गैर नकदी दोनों परिवर्तनों से संबंधित प्रकटीकरण किसी संस्था को करने की अपेक्षा है ताकि प्रयोक्ताओं द्वारा वित्तीय देयताओं का समुचित मूल्यांकन किया जा सके।

(ii) आईसीएआई और आईसीएसआई के नए अध्यक्षों को राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है - (दिनांक 23.03.2017 का का.आ. 944(अ))।

(iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 23.03.2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.945(अ) के माध्यम से तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष न्यायालय पदाभिहित किए हैं ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन दो वर्ष या इससे अधिक कारावास के साथ दंडनीय अपराधों की शीघ्र सुनवाई हो सके।

(iv) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 30.03.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.307(अ) के माध्यम से कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं जिनके द्वारा लेखापरीक्षकों के लिए निर्दिष्ट बैंक नोट में धारण के साथ-साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण वित्तीय कथन में सत्यापित करना और साथ ही यह रिपोर्ट करना कि क्या ये कंपनी द्वारा रखी जा रही लेखाबही के अनुसरण में हैं, अनिवार्य किया गया है।

(v) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 30.03.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 308(अ) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III को संशोधित किया है जिसके द्वारा सभी कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के अपने वित्तीय कथनों में 09.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान संव्यवहार और धारण नकदी के निर्दिष्ट बैंक नोट के विवरण देना अनिवार्य किया गया है।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 30.03.2017 की अधिसूचना संख्या 309(अ) के माध्यम से कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2016 में संशोधन किया है जिसके द्वारा विश्व बैंक के ईज आफ डुईंग बिजनेस सूचकांक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डीआईपीपी द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन नियमों के नियम 15 में 'दस प्रतिशत से अधिक' शब्दों को 'दस प्रतिशत या इससे अधिक' शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है।

(2) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 में शासकीय संशोधन प्रस्तावित करने के लिए कैबिनेट नोट दिनांक 23.03.2017 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया था। यह नोट मंत्रिमंडल द्वारा 31.03.2017 को अनुमोदित कर दिया गया है। इस मंत्रालय का चालू सत्र में लोकसभा में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 (मंत्रिमंडल द्वारा यथाअनुमोदित) में शासकीय संशोधन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।